

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह विभाग

[गोपनीय]

अनुभाग-3

अधिसूचना

17 जनवरी, 2005 ई०

सं० 103/1/8/2001-सो० एक्स०-3 (III)--चूंकि नीचे दी गई अनुसूची में नामित और मरिस्तर वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान हैं, जिसका प्रयोग लोक प्रकृति के प्रयोजनों के लिए अर्थात् तेल आपूर्ति के लिए किया जा रहा है,

और चूंकि उसके सम्बन्ध में कोई सूचना या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न से जनता को लाभ पहुंच सकता है,

अतएव, अब, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० ओ०-1285, दिनांक 4 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची में नामित और मरिस्तर वर्णित भू-गृहादि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करते हैं, और अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगाई जायेगी :

अनुसूची

"प्रतिषिद्ध स्थान" का नाम और उसकी विनिर्दिष्टियां

इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०, मथुरा-जालन्धर पेट्रोलियम पाइप लाइन के स्टेशन में लाइन एच० ओ० बी० (5×5 मी०) स्थित ग्राम-सिकड़ी, थाना-जानी, जिला मेरठ ।

पूर्व में-कृषि भूमि
पश्चिम में-कृषि भूमि
उत्तर में-कृषि भूमि
दक्षिण में-कार्ट ट्रैक एण्ड ड्रेन

आज्ञा से,
प्रदीप भटनागर,
सचिव ।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 103/1/8/2001-CX-3 (III), dated January 17, 2005 for general information :

No. 103/1/8/2001-CX-3-(III)

January 17, 2005

WHEREAS, the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for purposes of a public character, namely for Oil Supply;

AND, WHEREAS, information with respect thereto or the destruction or obstruction thereof or interference therewith, could be useful to an enemy;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. XIX of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification no. S.O. 1285, dated May 4, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a 'Prohibited Place' for the purpose of the said Act, and is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the Vernacular of the locality be affixed to the said premises :

Schedule

Name and specifications of the 'Prohibited Place'—

Indian Oil Corporation Ltd. Mathura-Jalandhar Pipeline's Station Mainline HOV
(5X5 Metre) at Village-Sikari, Police Station-Jaani, district Meerut.

In East—Cultivation land.

In West—Cultivation land.

In North—Cultivation land.

In South—Cart track and drain.

By order,
PRADIP BHATNAGAR,
Secretary, Home Department.

टिप्पणी—राजपत्रित दिनांक 09-04-2005, भाग-1 में प्रकाशित ।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी० एम० यू० पी०-7 सी० गृह [ग.पन]-26-04-2005-60 (मोनो) :